पुष्यभूति राजवंश का महान शासक हर्ष: शासन, सामाजिक,आर्थिक राजनीतिक जीवन

डॉ विभूति भूषण
सहायक प्राध्यापक (अतिथि)

SNSRKS, कॉलेज सहरसा

भाग:-3

शासन प्रणाली (Administration system of Harshvardhan)

शासन का स्वरूप राजतंत्रात्मक था तथा राजा प्रजावत्सल एवं लोक हितकारी भावनाओं से भरा था| राजा का संपूर्ण दिन प्रशासनिक एवं धार्मिक कार्यों के संपादन में व्यतीत होता था|

राजा का देवी उत्पत्ति में भी विश्वास मिलता है| हर्षचरित में सम्राट हर्ष को सभी देवताओं का सम्मिलित अवतार माना गया है| Harshvardhan की धार्मिक नीति में कारणों से इसे हिंदू काल का अकबर भी कहा जाता है| साम्राज्य निर्माता होने के साथ-साथ हर्ष कुशल शासक प्रबंधक भी था|

राजा को सहायता देने के लिए एक विशाल मंत्रिपरिषद होती थी| हर्षचरित एवं कादंबरी में विभिन्न प्रकार के सामंत एवं मंत्रियों का उल्लेख मिलता है जो Harshvardhan के अधीन रह कर शासन करते थे| हर्ष कालीन प्रशासन पहले से कहीं अधिक सामंती एवं विकेंद्रित था|

पदाधिकारियों को नगद वेतन के बदले भूमि खंड यानी कि भूमि का टुकड़ा प्रदान किया जाता था| अधिकारियों को वेतन व पुरस्कार के रूप में सनद जारी कर भूमि देने की सामंती प्रथा को सर्वप्रथम हर्ष ने ही शुरू किया|

न्याय व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी राजा था| राज्य में शांति व्यवस्था कायम थी| संभवतया दंड व्यवस्था के कठोर होने के कारण अपराधों की संख्या कम थी|

राज्य के पास एक विशाल एवं सुसंगठित सेना थी| ह्वेनत्सांग के अनुसार सेना के चारों अंगों की जानकारी मिलती है परंतु रथो की महत्ता कम हो रही थी| सेना का सर्वोच्च अधिकारी स्वयं सम्राट था जिसके अनुपस्थिति में सेना को महाबधिकृत संचालित करता था|

राज्य की आय का मुख्य स्रोत भूमि कर था| राजस्व प्रशासन का स्वरूप उदार था| हर्षकालीन ताम्रपत्रों में केवल तीन प्रकार के करों का उल्लेख मिलता है|

1. भाग कर (राजकीय भूमि पर कृषि करने वाले से 1 बटा 6 भाग)
2. हिरण्य कर (व्यापारियों से लिया जाने वाला नगद कर)
3. बली कर (एक प्रकार का धार्मिक कर)

इसके अतिरिक्त प्रस्तुत कर, हलदंड कर, उद्रंग, ऊपरिकर, धानी, भोग तथा तुल्यमेय आदि भी वसूले जाते थे|